राष्ट्रीय महिला आयोग

14 दिसंबर, 2023 को आयोजित आयोग की

233वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित:

1.	सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्ष
2.	सुश्री डेलिना खोंदुप	सदस्य
3.	सुश्री ममता कुमारी	सदस्य
4.	सुश्री मीनाक्षी नेगी	सदस्य सचिव

उपस्थित अन्य सदस्यगण:

1.	श्री ए. अशोली चलाई	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. शिवानी दे	उप सचिव
3.	श्री आशुतोष पांडे	अवर सचिव
4.	श्री राजेश सिंह बिष्ट	वेतन एवं लेखा अधिकारी
5.	सुश्री एम लीलाबती	वरिष्ठ समन्वयक(C&I/AHTC/WSA
6.	सुश्री कंचन खट्टर	वरिष्ठ समन्वयक(NI Cell)
7.	सुश्री नेहा महाजन गुप्ता	विशेष समन्वयक
8.	सुश्री सना गुप्ता	सलाहकार (मीडिया/सोशल मीडिया)
9.	सुश्री अनन्या सिंह	समन्वयक
10.	सुश्री टुनिका उपाध्याय	समन्वयक
11.	सुश्री सुरुचि पुंज	निजी सचिव, अध्यक्ष
12.	सुश्री श्रेया सेन	विशेष रेपोर्टियर
13.	श्री अतुल सिन्हा	वरिष्ठ प्रोग्रामर
14.	श्री राजेश कपूर	वरिष्ठ सलाहकार

प्रारंभ में, सदस्य सचिव ने आयोग की 233वीं बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों, अधिकारियों एवं प्राधिकारियों का स्वागत किया।

प्रत्येक मद पर निम्नानुसार निर्णय लिए गए:-

1. **कार्यसूची मद सं:. 233/I/1**

विषय: 15 नवम्बर, 2023 को आयोजित आयोग की 232वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

आयोग द्वारा 15 नवम्बर, 2023 को आयोजित आयोग की 232वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

2. **कार्यसूची मद सं. 233/I/2**

विषय : कार्यवाही रिपोर्ट

15 नवम्बर, 2023 को आयोजित आयोग की 232 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट आयोग द्वारा नोट की गई।

3. **कार्यसूची मद सं. 233/I/3**

विषय: "महिला साइबर सुरक्षा - साइबर स्पेस में चुनौतियां: विशेषतः महिला उपयोगकर्ताओं के लिए: अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय महिलाओं के बीच साइबर सुरक्षा: स्थिति, बाधाएं और रणनीति-संबंधी सुधार"

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गयाः-

i) अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति
ii) वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा मूल बिल/वाउचर के सत्यापन के बाद शेष राशि रुपये 6,10,500/- (छह लाख, दस हजार और पांच सौ रुपये मात्र) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश को जारी करना।
iii) रिपोर्ट की एक प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजना;
iv) रिपोर्ट की एक प्रति रा.म.आ के पुस्तकालय में रखा जाना।

4. **कार्यसूची मद सं. 233/I/4**

विषय: "तेलुगु फिल्म और टेलीविजन उद्योग में महिलाओं के लिए काम करने की स्थितियाँ और लागू कानून" पर शोध अध्ययन

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और निम्नानुसार कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गयाः-

i. रुपये 3,94,514/- (रुपये तीन लाख चौरानवे हजार पांच सौ चौदह मात्र)का पूर्ण एवं अंतिम भुगतान
ii. आयोग द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति।
iii. रिपोर्ट की एक प्रति रा.म.आ के पुस्तकालय में रखा जाना।
iv. रिपोर्ट की एक प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अग्रेषित करना

5. **कार्यसूची मद सं. 233/I/5**

विषय: केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में "साइबर सुरक्षा- विशेष रूप से महिला उपयोगकर्ताओं के लिए साइबर स्पेस के तहत चुनौतियाँ"

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और निम्नानुसार कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गयाः-

i. रुपये 3,62,623 (रुपये तीन लाख बासठ हजार छह सौ तेईस मात्र) का पूर्ण एवं अंतिम भुगतान।
ii. आयोग द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति।
iii. रिपोर्ट की एक प्रति रा.म.आ के पुस्तकालय में रखा जाना।

iv. रिपोर्ट की एक प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आईटी विभाग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार को अग्रेषित की जाए।

6. **कार्यसूची मद सं. 233/I/6**

विषय: "साइबर सुरक्षा- विशेष रूप से महिला उपयोगकर्ताओं के लिए साइबर स्पेस के तहत चुनौतियां - पंजाब राज्य में महिला उपयोगकर्ताओं के खिलाफ साइबर अपराधों की जांच"

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और निम्नानुसार कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गयाः-

i. रुपये 6,42,500 (छह लाख बयालीस हजार पांच सौ रुपये मात्र) का पूर्ण एवं अंतिम भुगतान।
ii. आयोग द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति।
iii. रिपोर्ट की एक प्रति रा.म.आ के पुस्तकालय में रखा जाना।
iv. रिपोर्ट की एक प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि एवं सहयोग विभाग और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को अग्रेषित करना।

7. **कार्यसूची मद सं. 233/I/7**

विषय: "भारत के महानगरीय शहरों में अंतरंग साथी हिंसा (आईपीवी) से पीड़ित लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर एक अध्ययन"

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और निम्नानुसार कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गयाः-

i. रुपये 2,12,136/- (रुपए दो लाख बारह हजार एक सौ छत्तीस मात्र) का पूर्ण एवं अंतिम भुगतान।
ii. आयोग द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति।
iii. रिपोर्ट की एक प्रति रा.म.आ के पुस्तकालय में रखा जाना।
iv. रिपोर्ट की एक प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को अग्रेषित करना।

8. **कार्यसूची मद सं. 233/I/8**

विषय: "महिला शिक्षा: महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन"

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और निम्नानुसार कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गयाः-

i. रुपये 98,700/- (अठानवे हजार सात सौ रूपये मात्र) का पूर्ण एवं अंतिम भुगतान।
ii. आयोग द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति।
iii. रिपोर्ट की एक प्रति रा.म.आ के पुस्तकालय में रखा जाना।
iv. रिपोर्ट की एक प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अग्रेषित करना।

9. **कार्यसूची मद सं. 233/I/9**

विषय: "कपड़ा और फैशन उद्योग में महिला उद्यमियों के सामने आने वाले प्रमुख अवसरों और चुनौतियों पर एक अनुभवजन्य अध्ययन"

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और निम्नानुसार कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गयाः-

i. रुपये 1,00,000/- (एक लाख रूपये मात्र) का पूर्ण एवं अंतिम भुगतान।
ii. आयोग द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति।
iii. रिपोर्ट की एक प्रति रा.म.आ के पुस्तकालय में रखा जाना।
iv. रिपोर्ट की एक प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय (भारत सरकार); मुख्य सचिव (तमिलनाडु सरकार) को अग्रेषित करना।

10. **कार्यसूची मद सं. 233/I/10**

विषय: 28 दिसम्बर,2023 को "महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध" पर गुजरात भवन, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में एक दिवसीय सेमिनार

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गयाः-

i) समाज कल्याण विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार के सहयोग से "महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध" पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित करने के लिए 2023-24 की अवधि के दौरान रु.3,23,500/- (रु. तीन लाख तेईस हजार पाँच सौ केवल) के व्यय तथा
ii) पहली किस्त के रूप में रुपये 1,61,750/- (रूपये एक लाख इकसठ हजार सात सौ पचास मात्र) जारी करने के लिए।

11. **कार्यसूची मद सं. 233/I/11**

विषय: गोवा में विभिन्न हितधारकों के साथ दो दिवसीय इंटरैक्टिव बैठक।

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और निम्नानुसार कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गयाः-

i) गोवा राज्य महिला आयोग के पक्ष में रुपये 28,15,716/- (रुपए अट्ठाईस लाख पंद्रह हजार सात सौ सोलह मात्र) की राशि स्वीकृत करने का अनुमोदन और

ii) गोवा में विभिन्न हितधारकों के साथ दो दिवसीय इंटरैक्टिव बैठक आयोजित करने के लिए गोवा महिला आयोग के पक्ष में रुपये 20,05,208/- (केवल बीस लाख पांच हजार दो सौ आठ रुपये) की राशि जारी करना। ।

12. **कार्यसूची मद सं. 233/I/12**

विषय: शिकायतों का समाधान करने के लिए शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ द्वारा संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया। माननीय अध्यक्ष ने आयोग के सदस्यों को सलाह दी कि वे इसे पढ़ें और अपने सुझाव, यदि कोई हों, आयोग की अगली बैठक में दें। आयोग की अगली बैठक में इस विषय पर विमर्श किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष ने इस संबंध में कायज़न इस्टीटूयट के साथ एक मीटिंग करने को कहा।

13. **कार्यसूची मद सं. 233/II/1**

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत मदवार बजट आबंटन, तीसरी तिमाही(अक्तू-नवम्बर) के लिए उपलब्ध कुल निधि, माह अक्टूबर, तथा नवम्बर 2023 के लिए किया गया व्यय और तीसरी तिमाही (दिसंबर,2023 तक) के लिए उपलब्ध शेष निधि के विवरण

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत मदवार बजट आबंटन, तीसरी तिमाही के लिए उपलब्ध कुल निधि, माह अक्टूबर, नवम्बर 2023 के लिए किया गया व्यय और तीसरी तिमाही (दिसंबर,2023 तक) के लिए उपलब्ध शेष निधि के विवरणों को नोट किया। सदस्यों ने समय पर व्यय सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।

14. **कार्यसूची मद सं. 233/II/2**

विषय: मासिक रिपोर्ट – नवम्बर 2023 : शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ

आयोग ने मद में दिए गए विवरण के अनुसार शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ की मासिक रिपोर्ट (नवंबर 2023)को नोट किया।

15. **कार्यसूची मद संख्या. 233/II/3**

विषय: सदस्य (खु.सु) द्वारा 19.07.2023 को वन स्टॉप सेंटर, ताम्बरम, चेन्नई का दौरा

आयोग ने दौरा-रिपोर्ट को नोट किया। तत्पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में आयोग की बैठक में दौरा-रिपोर्ट प्रस्तुत न की जाए, केवल जाँच रिपोर्ट, तथ्यान्वेषण रिपोर्ट तथा रिपोर्ट से जुडे खास तथ्यों को 10 दिन के अंदर आयोग की बैठक में प्रस्तुत किया जाए जिससे की ATR को कार्यान्वित तथा संबंधित प्राधिकरण को भेजा जा सके।

16. **कार्यसूची मद संख्या. 233/II/4**
विषय: सदस्य (केएस) द्वारा 20.07.2023 को चेन्नई में महिलाओं के पुष्राल जेल का दौरा।

समिति ने दौरा-रिपोर्ट को नोट किया।

17. **कार्यसूची मद संख्या. 233/II/5**
विषय: सदस्य (केएस) द्वारा 20.07.2023 को चेन्नई में शिक्षा, कला और संस्कृति के लिए बेहतर विश्व केंद्र - डोरकास अनुसंधान केंद्र का दौरा

समिति ने दौरा-रिपोर्ट को नोट किया।

18. **कार्यसूची मद संख्या. 233/II/6**
विषय: भाजपा की महिला पार्टी कार्यकर्ता पर एसिड हमले की जाँच-रिपोर्ट

समिति ने जांच -रिपोर्ट को नोट किया।

19. गुजरात में रण कच्छ उत्सव में भागीदारी और स्थापना दिवस समारोह की तैयारी पर चर्चा के लिए 15 दिसंबर 2023 को सुबह 11:00 बजे आयोग की एक विशेष बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

आयोग की अगली बैठक 15 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे होगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

हस्ता.	हस्ता.
मीनाक्षी नेगी **सदस्य सचिव**	**रेखा शर्मा** **अध्यक्ष**